

भाग—III

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
(सामान्य सेवाएं)

अधिसूचना

दिनांक 11 जून, 2019

संख्या सांका०नि० 25/संवि०/अनु० 309/2019.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य सेवाएं, अधिसूचना संख्या 523-3जी०एस० -70/2068, दिनांक 28 जनवरी, 1970 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य सेवाएं, अधिसूचना संख्या 523-3जी०एस० -70/2068, दिनांक 28 जनवरी, 1970 में, पैरा 6 में, खंड(घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

- “(घ) (i) ग्रुप ख पद अर्थात् विद्यालय शिक्षा विभाग में अध्यापक, शैक्षिक पर्यवेक्षक तथा अध्यापक शिक्षक तथा सभी विभागों में ग्रुप ग पदों के लिए लिखित परीक्षा, सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव के आधार पर संबंधित उम्मीदवारों का चयन तथा नामों की सिफारिश करेगा।
- (ii) आयोग को प्रश्नों की संख्या, प्रति प्रश्न अंक तथा लिखित परीक्षा की कालावधि को निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी। पद के चयन के संबंध में अकों की योजना में कुल 100 अंक होंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है; अर्थात् :-

क्रम संख्या	विषय	अंक
1	लिखित परीक्षा	90
2	सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव	10

- (iii) लिखित परीक्षा 90 अंकों की होगी जो कि दो भागों में समाविष्ट करते हुए विभाजित की जाएगी:-
- (क) सामान्य ज्ञान, विवेक बुद्धि, गणित, विज्ञान, कम्प्यूटर, अंग्रेजी, हिंदी तथा यथालागू सम्बद्ध या सुसंगत विषय के लिए 75 प्रतिशत अधिमान;
- (ख) हरियाणा के इतिहास, सामयिक मामलों, साहित्य, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, संस्कृति इत्यादि के लिए 25 प्रतिशत अधिमान।
- (iv) सामाजिक-आर्थिक मानदंड तथा अनुभव के लिए दस अंक होंगे जो निम्नानुसार आबंटित किए जायेंगे:-
- (क) यदि न तो आवेदक और न ही आवेदक का परिवार अर्थात् पिता, माता, पति-पत्नी, भाइयों और बेटों में से कोई भी व्यक्ति, हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग/बोर्ड/निगम, कंपनी/वैधानिक निकाय/आयोग/प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी है, था या रहा है,

(5 अंक)

(ख) यदि आवेदक

- (i) विधवा है, या;
- (ii) प्रथम या द्वितीय बालक है और उसके पिता की मृत्यु बयालीस वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई हो;
- (iii) प्रथम या द्वितीय बालक है और आवेदक के पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी होने से पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई है।

(5 अंक)

(ग) यदि आवेदक ऐसी अन्अधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति और टापरीवास जाति) या हरियाणा राज्य की घुमंतू जनजाति से संबंधित हैं, जो न तो अनुसूचित जाति है और न ही पिछड़ा वर्ग है।

(5 अंक)

(घ) अनुभव: हरियाणा सरकार के किसी विभाग/बोर्ड/निगम, कंपनी/वैधानिक निकाय/आयोग/प्राधिकरण में समान या उच्चतर पद पर अधिकतम सोलह वर्षों के अनुभव के प्रत्येक वर्ष या छह मास से अधिक के उसके भाग के लिए आधा (= 0.5) अंक। छह मास से कम किसी अवधि के लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा।

(अधिकतम 8 अंक)

टिप्पण: किसी भी आवेदक को, किसी भी परिस्थिति में सामाजिक-आर्थिक मानदंड तथा अनुभव के लिए कुल दस अंकों से अधिक अंक नहीं दिये जाएंगे।”।

डी० एस० देसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(GENERAL SERVICES)

Notification

The 11th June, 2019

No. G.S.R. 25/Const./Art.309/2019.— In exercise of the powers conferred by the provide to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, General Administration Department (General Services), Notification No. 523-3GS-70/2068, dated the 28th January, 1970, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, General Administration Department, General Services, Notification No.523-3GS-70/2068, dated the 28th January, 1970, in para 6, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

- “(d) (i) The selection and recommendation of the names of the candidates belonging to Group B posts viz. Teacher, Educational supervisor, Teacher Educator in School Education Department and Group C posts in all departments shall be done on the basis of written exam, socio-economic criteria and experience.
- (ii) The Commission shall be at liberty to set the number of questions, marks per question and duration of written examination. The scheme of marks in respect of selection to the post shall comprise of total 100 marks, as detailed below, namely:-

Serial number	Subject	Marks
1	Written exam	90
2	Socio-economic criteria and experience	10

- (iii) The 90 marks for written exam shall be divided into two parts comprising ,-
- (a) 75% weightage for General Awareness, Reasoning, Maths, Science, Computer, English, Hindi and concerned or relevant subject, as applicable;
- (b) 25% weightage for History, Current Affairs, Literature, Geography, Civics, Environment, Culture etc. of Haryana.
- (iv) The 10 marks for socio-economic criteria and experience shall be allocated as follows,-
- (a) if neither the applicant nor any person from among the applicant's family viz father, mother, spouse, brothers and sons is, was or has been a regular employee in any Department/ Board/ Corporation/ Company/ Statutory Body/ Commission/ Authority of Government of Haryana or any other State Government or the Government of India;

(5 marks)

- (b) if the applicant is,-
- (i) a Widow ; or
- (ii) the first or the second child and his father had died before attaining the age of forty two years; or
- (iii) the first or the second child and his father had died before the applicant had attained the age of fifteen years;

(5 marks)

- (c) if the applicant belongs to such a denotified tribe (Vimukt Jatis and Tapriwas Jatis) or Nomadic tribe of the State of Haryana which is neither a Scheduled Caste nor a Backward Class;

(5 marks)

- (d) **Experience:** One-half (=0.5) mark for each year or part thereof exceeding six months of experience, out of a maximum of sixteen years, on the same or a higher post in any Department/ Board/ Corporation/ Company/ Statutory Body/ Commission/Authority of Government of Haryana. No marks shall be awarded for any period less than six months.

(maximum 8 marks)

Note: No applicant shall be given more than a total of 10 marks for socio-economic criteria and experience under any circumstances.”.

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government, Haryana.